संख्या– 3216/33–3–2015–43/2010टीसी

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

विषय : ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के संघटन की दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 तक अधिसूचना जारी करना एवं संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों को दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 तक शपथ दिलाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या–6767/रा0नि0आ0अनु–3/पं0 नि0/154–15 दिनांक 27–11–2015 के अनुसार ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 की प्रक्रिया दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 तक सम्पन्न हो जायेगी।

इस क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए :–

(1) ग्राम पंचायतों का संघटन :–

चुनाव पूर्ण हो जाने के उपरान्त ग्राम पंचायतों को संघटित करने की अधिसूचना तत्काल जारी करना आवश्यक है। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–3 के खण्ड (घ) में निम्नलिखित प्राविधान है :– "ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत की जाये और तदुपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायेगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो,

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संघटन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाएं।"

उक्त क्रम में निर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधान और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 58 में निम्नलिखित प्राविधान है:–

Jaigovind Pandey

"(1) जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई स्थान और प्रधान का पद भर जाये, जिला मजिस्ट्रेट यह विज्ञापित करेगा कि ग्राम पंचायत यथाविधि संघटित की गयी है।

(2) उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना में सदस्यों और प्रधान के नाम होंगे। इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में चिपका कर इसे प्रकाशित किया जाएगा। एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री को भी भेजी जाएगी।"

उक्त अधिसूचना का हिन्दी में एवं अंग्रेजी में प्रारूप इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अपने जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों को, जिनके प्रधान और कम से कम 2 तिहाई सदस्य निर्वाचित हुये हो, के संघटन की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 तक अनिवार्य रूप से जारी कराना सुनिश्चित करें।

2– प्रधानों एवं सदस्यों द्वारा शपथ

(1) ग्राम पंचायत के संघटन के पश्चात्, संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने पद की शपथ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान, पंच, सरपंच, सहायक सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य पद की शपथ) नियमावली, 1994 के नियम संख्या–3 के प्राविधानों के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा नियत समय व स्थान पर ली जायेगी। साथ ही संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–12ङ (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्वाचित प्रधानों एवं सदस्यों को विहित रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा–12ङ(2) में यह स्पष्ट प्राविधान है कि "किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करने पर यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।"

(2) शपथ लेने हेतु नियत प्रारूप संलग्न करते हुए अपेक्षा की जाती है कि शपथ के लिए स्थान एवं समय का निर्धारण करते हुए सभी संबंधित प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ ग्रहण स्थल, तिथि तथा समय की पर्याप्त समय पूर्व सूचना अवश्य दे दी जाये। शपथ के लिए स्थान निर्धारित करने से पूर्व यह बात अवश्य ध्यान में रखी जाय कि उस स्थान पर ग्राम सभा प्रधान तथा सदस्यों के पद की गरिमा के

Jaigovind Pandey

अनुरूप बैठने की उचित व्यवस्था हो। शपथ–पत्र की पर्याप्त प्रतियां साइक्लोस्टाईल/मुद्रित करा ली जाय। शपथ ग्रहण के पश्चात् हस्ताक्षरयुक्त शपथ–पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायत के प्रधानों के शपथ–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के शपथ–पत्र खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने हेतु सौंप दिये जायें।

(3) उक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्रों जैसे प्रचार माध्यमों से भी व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) अतः समस्त संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों को दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 तक शपथ दिलाना सुनिश्चित कराते हुए विलम्बतम् दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 तक निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:– "जनपद की कुल..... ग्राम पंचायतों में से..... .....ग्राम पंचायतों को संघटित करते हुए उनके समस्त प्रधानों तथा सदस्यों को नियमानुसार शपथ दिलायी जा चुकी है।"

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य परिस्थितियों आदि के कारण यदि किसी जनपद में उपर्युक्त सन्दर्भित तिथि तक चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाती है तो सम्बन्धित जनपद के सम्बन्ध में मतगणना सम्पन्न होने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचना पृथक से यथाशीघ्र जारी कर तद्नुसार सम्बन्धित प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

संलग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/33–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Jaigovind Pandey

7. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पशु धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

Jaigovind Pandey

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जनपद.....

संख्याः दिनांक

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–26 सन् 1947) की धारा–12 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 58 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं.....जिला मजिस्ट्रेट, जनपद..... की ग्राम पंचायत....., जिसके प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य निम्नलिखित हैं, के यथा विधि संघटन को अधिसूचित करता हूँ :–

1. श्री/श्रीमती.....प्रधान
2. श्री/श्रीमती.....सदस्य
3. श्री/श्रीमती.....सदस्य
4. श्री/श्रीमती.....सदस्य
5. श्री/श्रीमती.....सदस्य
6. श्री/श्रीमती.....सदस्य
7. श्री/श्रीमती.....सदस्य
8. श्री/श्रीमती.....सदस्य
9. श्री/श्रीमती.....सदस्य
10. श्री/श्रीमती.....सदस्य
11. श्री/श्रीमती.....सदस्य
12. श्री/श्रीमती.....सदस्य
13. श्री/श्रीमती.....सदस्य
14. श्री/श्रीमती.....सदस्य
15. श्री/श्रीमती.....सदस्य
16. श्री/श्रीमती.....सदस्य

मैं यह भी आदेश देता हूँ कि इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संबंधित सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय पर चिपकायी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिलिपि–सचिव, सम्बन्धित ग्राम पंचायत।

Jaigovind Pandey

NOTIFICATION

No. :
Dated :

In exercise of the powers under clause (d) of sub-section (3) of section 12 of ther United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act. No. 26 of 1947) read with rule 58 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Election of Members, Pradhans and Up-Pradhans) Rules, 1994, I.....(Name of the District Magistrate concerned) District Magistrate of the District of..... .....(Name of the District concerned) notify that the..... (Name of the Gram Panchayat) Gram Panchayat has been duly constituted, the Pradhan and the other members where of are as follows :

1. Sri/Smt. .....Pradhan
2. Sri/Smt. .....Member
3. Sri/Smt. .....Member
4. Sri/Smt. .....Member
5. Sri/Smt. .....Member
6. Sri/Smt. .....Member
7. Sri/Smt. .....Member
8. Sri/Smt. .....Member
9. Sri/Smt. .....Member
10. Sri/Smt. .....Member
11. Sri/Smt. .....Member
12. Sri/Smt. .....Member
13. Sri/Smt. .....Member
14. Sri/Smt. .....Member
15. Sri/Smt. .....Member
16. Sri/Smt. .....Member

2- I also order that copy of this notification shall be affixed at the office of the Assistant Development Officer (Panchayat).

District Magistrate

Copy to the Secretary of the Gram Panchayat concerned

Jaigovind Pandey

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं.....(नाम).....ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा और मैं ग्राम पंचायत.....के प्रधान/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दें।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....

Jaigovind Pandey